<u>न्यायालयः- न्यायिक मजिस्ट्रेट, सैंपऊ धौलपुर(राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी	-	रेणु कुमारी गोयल, आर.जे.एस.
फौजदारी प्रकरण संख्या	-	694/2022
सी.आई.एस. नंबर	-	694/2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	-	208/2014 थाना सैंपऊ
सी०एन०आर० नंबर	-	RJDH160013722022

राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी, धौलपुर ---अभियोगी

बनाम

1. निरोती पुत्र छोटे, उम्र-52 साल, (फौत कार्यवाही ड्रॉप दिनांक 01.06.2024)

2. अर्जुन सिंह पुत्र लज्जाराम, उम्र-22 साल,

3. भीमसेन पुत्र लज्जाराम, उम्र-24 साल,

4. लज्जाराम पुत्र छोटे, उम्र-60 साल,

5. रमेश पुत्र अनारसिंह, उम्र-35 साल,

6. रज्जो पुत्र निरोती, उम्र-35 साल,

निवासीगण मढी मौहल्ला कस्बा सैपऊ थाना सैपऊ।

---अभियुक्तगण

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 147, 447, 379 भारतीय दंड संहिता</u>

उपस्थितः-

1- विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।

2- श्री अनुपम, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

<u>-- निर्णय--</u> **<u>दिनांकः- 30-03-2026</u>**

1. हस्तगत प्रकरण की पत्रावली माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर के आदेश क्रमांक 115 दिनांक 14.07.2021 की पालना में वरिष्ठ सिविल

न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर से अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई, जो दर्ज रजिस्टर की गई तथा जिसका बाद विचारण निम्नानुसार निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-03 श्री देशराज पुत्र मंगलसिंह, जाति कुशवाह निवासी सैपऊ थाना व तहसील सैपऊ जिला धौलपुर ने उपस्थित थाना होकर इस आशय की पेश की कि आराजी खसरा नंबरान 225 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, 1161/218 रकबा 07 बिस्वा, 1163/219 रकबा 17 बिस्वा, 1165/211 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम हाजीपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर में प्रार्थी व उसके भाई बहन, माता 1/5 भाग के खातेदार काश्तकार है तथा भिक्की देवी व मानसिंह 3/5 भाग के खातेदार काश्तकार है तथा रामवती 1/5 भाग की खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज होकर इसी अनुसार अपने-अपने हिस्से पर काश्त कर रहे हैं। प्रार्थी की उक्त आराजी खसरा नंबर 1161/218 व 1163/219 में प्रार्थीगण ने जोत-बोकर उसमें ऊसल बाजरा बोई थी जिसमें बालिया आ गई थी जिसे मुलजिमान लज्जाराम, निरोती पुत्रगण छोटे, अर्जुन भीमसेन पुत्रगण लज्जाराम, रमेश पुत्र अनारसिंह, रज्जो पुत्र निरोती जातिगण कुशवाह निवासीगण मढी मोहल्ला बाडी रोड सैपऊ ने दिनांक 25.09.2014 को सांय काल 8 बजे के करीब एकराय होकर प्रार्थी के उक्त खेतों में घुसकर जबर्दस्ती फसल बाजरा को काट लिया और रात्रि में ही पोठली बांध-बांध कर चोरी करके ले गये मौके पर उपस्थित शादीलाल, भिक्की, नत्थीलाल शर्मा, प्रार्थी देशराज ने उक्त मुलजिमान से फसल बाजरा काटने से मना किया और फसल की चोरी करने से मना किया तो उक्त सभी मुलजिमान लाठियों से प्रार्थी को मारने दौडे और उक्त लोगों को भी लाठियों से मारने की धमकी दी तथा मुलजिमान ने भय दिखाकर लाठी के बल पर पूरी फसल बाजरा को काट लिया और उक्त खेत को ट्रेक्टर से जोत दिया और जबरन हमारे खेत पर कब्जा करने की धमकी दी मौके पर उपस्थित लोगों के समझाने पर मुलजिमान को शांत किया तथा दो दिन से समझायश की बातचीत चलती रही इसलिए रिपोर्ट करने नहीं आये कल रात्रि को उक्त मुलजिमान ने प्रार्थी की उक्त अराजी में पडी हुई ईटों को तथा पत्थर की मुडिडयों को ट्रेक्टर में जबरन भरकर चोरी करके ले गये मना करने पर झगडा करने पर आमादा हुये आज पुनः प्रार्थी के साथ के उक्त खेत में झगडा किया और जबरन प्रार्थी की उक्त आराजी में पानी से थेबन करने लगे मना करने पर नहीं माने और जान से मारने की धमकी दी इसलिए

आज रिपोर्ट करता हूं मुलजिमान के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे और उसके चोरी गये पत्थर व ईटों को मुलजिमान से बरामद किया जावे ....इत्यादि।

3. उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर थाना सैपऊ की ओर से प्रकरण संख्या 208/2014 अंतर्गत धारा 143, 447, 379 भारतीय दंड संहिता में संस्थित कर अनुसंधान प्रारंभ किया। दौराने अनुसंधान परिवादी तथा गवाहान के कथन लेखबद्ध किये गये।

4. सम्पूर्ण अनुसंधान से अभियुक्तगण 1. निरोती पुत्र छोटे, उम्र-52 साल, (फौत कार्यवाही ड्रॉप दिनांक 01.06.2024) 2. अर्जुन सिंह पुत्र लज्जाराम, उम्र-22 साल, 3. भीमसेन पुत्र लज्जाराम, उम्र-24 साल, 4. लज्जाराम पुत्र छोटे, उम्र-60 साल, 5. रमेश पुत्र अनारसिंह, उम्र-35 साल, 6. रज्जो पुत्र निरोती, उम्र-35 साल, निवासीगण मढी मौहल्ला कस्बा सैपऊ थाना सैपऊ के खिलाफ जुर्म धारा 143, 447, 379 भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

5. उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय में प्रसंज्ञान लेते हुए प्रकरण नियमित फौजदारी दर्ज किया गया। बहस आरोप सुनी जाकर उक्त अभियुक्तगण को धारा 147, 447, 379 भारतीय दंड संहिता के आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो उक्त अभियुक्तगण ने आरोप सुन व समझकर आरोपों से अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले के समर्थन में गवाह पी.डब्ल्यू-01 नत्थीलाल, पी.डब्ल्यू-02 देशराज सिंह, पी.डब्ल्यू-03 शादीलाल, पी.डब्ल्यू-04 भिक्की, पी.डब्ल्यू-05 नेत्रपाली, पी.डब्ल्यू-06 सुरेश, पी.डब्ल्यू-07 मुकेश, पी.डब्ल्यू-08 चन्द्रपाल, पी.डब्ल्यू-09 विश्वदीपक के बयान लेखबद्ध कराये गये। हस्तगत प्रकरण में गवाह सूची के गवाह संख्या 06 श्री सत्यवीरसिंह को अभियोजन पक्ष द्वारा तर्क कर पेश नहीं किए जाने तथा गवाह संख्या 11 श्री बाबूलाल भास्कर की तस्दीकशुदा फौती रिपोर्ट प्राप्त होने तथा शेष समस्त गवाहान् के बयान लेखबद्ध होने तथा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों को देखते हुए उक्त गवाहान की तलबी बंद की गई तथा अभियोजन साक्ष्य सूची में अन्य कोई गवाह शेष नहीं होने के कारण प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इसी स्तर पर साक्ष्य अभियोजन बंद की गई। दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात को प्रदर्शित कराया जाकर साक्ष्य अभियोजन समाप्त की गई:-

अभियोजन प्रदर्श	**प्रदर्श का विवरण**

प्रदर्श पी 01	पुलिस बयान नत्थीलाल
प्रदर्श पी 02	नक्शामौका घटनास्थल
पुनः प्रदर्श पी 02	गिरफ्तारी का वारंट मुलजिम रज्जो
प्रदर्श पी 03	तहरीरी रिपोर्ट
प्रदर्श पी 04	प्रथम सूचना रिपोर्ट
प्रदर्श पी 05	जमाबंदी ग्राम हाजीपुर खसरा संख्या नयी 118 पुरानी 203
प्रदर्श पी 06	नक्शा ट्रैस ग्राम हाजीपुर
प्रदर्श पी 07	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम रमेश
प्रदर्श पी 08	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम रज्जो
प्रदर्श पी 09	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम भीमसेन
प्रदर्श पी 10	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम अर्जुनसिंह
प्रदर्श पी 11	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम लज्जाराम
प्रदर्श पी 12	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम निरोती
प्रदर्श पी 13	फर्द बरामदगी बाजरा प्लास्टिक कट्टा में भरा हुआ
प्रदर्श पी 14	फर्द नक्शामौका बरामदगी स्थल

7. अभियुक्तगण को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत परीक्षित किया गया, तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुये स्वयं को इस केस में झूठा फंसाये जाने का कथन किया तथा अपने पक्ष में प्रतिरक्षा पेश करना चाहा तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा में अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से गवाह डी.डब्ल्यू-01 फन्नीराम के बयान लेखबद्ध कराए गए।

8. बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी। जिसमें विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने भी यह कथन किया है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गई समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पूर्णतया युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित हुये हैं लिहाजा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाकर अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की।

9. इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्तगण ने कथन किया कि पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं है जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध किसी भी सीमा तक सिद्ध होना माने जा सके। अतः पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

10. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया तथा सम्पूर्ण पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया, जिससे उक्त प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु हैः-

(अ) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 25.09.2014 की सांयकाल 8.00 बजे या उसके लगभग स्थान ग्राम हाजीपुर थाना सैपऊ जिला धौलपुर में सबके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में परिवादी देशराज की बाजरा की फसल को क्षति पहुंचाने हेतु विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर बलवा कारित किया तथा उसकी भूमि में आपराधिक अतिचार किया तथा विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए परिवादी देशराज की बाजरा की फसल व आराजी में पडी हुई ईंट व पत्थर की मुडियों को चुराकर ले गये?

(ब) यदि हां, तो सजा क्या होगी?

11. विचारणीय बिन्दु 'अ' के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि हस्तगत प्रकरण में केवल यह साबित किया जाना है कि क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 25.09.2014 की सांयकाल 8.00 बजे या उसके लगभग स्थान ग्राम हाजीपुर थाना सैपऊ जिला धौलपुर में सबके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में परिवादी देशराज की बाजरा की फसल को क्षति पहुंचाने हेतु विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर बलवा कारित किया तथा उसकी भूमि में आपराधिक अतिचार किया तथा विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए परिवादी देशराज की बाजरा की फसल व आराजी में पडी हुई ईंट व पत्थर की मुडियों को चुराकर ले गये। उक्त विचारणीय बिन्दु को संदेह से परे साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 09 गवाहों को परीक्षित करवाया गया है। हस्तगत प्रकरण को संदेह से परे साबित करने के लिय प्रथमतः प्रकरण के परिवादी गवाह पी०ड० 02 देशराज सिंह व चक्षुदर्शी साक्षीगण गवाह पी०ड०

03 शादीलाल एवं पी०ड० 04 भिक्की की साक्ष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण व अहम है जिनकी साक्ष्य पर गौर करें, तो -

12. अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू-02 देशराज सिंह, जो कि हस्तगत पत्रावली का महत्वपूर्ण गवाह होकर स्वयं परिवादी/मजरूब है, जो अपने मुख्य परीक्षण में यह लोग दिनांक 25.9.14 को रात 8 बजे बाजरा काट ले गये होना तथा वह मौके पर पहुंच गया होना तथा उसने रोका तो उसकी मारपीट की होना तथा उसने दो दिन बाद रिपोर्ट दर्ज कराई होना कथन करता है तथा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-03 व चाक आई आर प्रदर्श पी 04 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर होना तथा नक्शामौका प्रदर्श पी-02 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर होना तथा उसके खेत की जमाबंदी व नक्शाट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 5 पी 6 होना कथन करता है तथा अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में इस जमीन का विवाद आज भी चल रहा हो तो उसे नहीं पता होना तथा शिवदयाल जिंदा हो या मर गया हो तो उसे नहीं पता होना तथा उक्त खेत के बटवारे की अपील में तारीख पेशी 10.8.15 हो तो उसे नहीं पता होना कथन करता है तथा शादीलाल घटना के कितनी देर बाद आये थे वह नहीं बता सकता होना कथन करता है तथा यह भी कथन करता है कि शादीलाल घटना होने के बाद आए थे तथा पुलिस ने उसका बयान लिया हो तो आज उसे ध्यान नहीं होना कथन करता है तथा आगे कथन करता है कि वह मौके पर चिल्लाया नहीं था अजखुद कहा कि उसने लोगों से कहा था तथा उसने रामवीर, विजयसिंह से इस बारे में कहा होना और अन्य किसी से नहीं कहा होना कथन करता है तथा आगे गवाह ने प्रदर्श पी-02 पर शादीलाल देवी कैलाशी उसने हस्ताक्षर किये होना भी कथन करता है। अतः उक्त गवाह अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में अधिकतर प्रश्नों का उत्तर उसे पता नहीं होना कथन करता है। अतः उक्त गवाह की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

13. इसके अतिरिक्त प्रकरण का चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यू.-03 शादीलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-03 के कथनों को दोहराते हुए नक्शामौका प्रदर्श पी-02 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर होना कथन करता है, किंतु अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में उक्त गवाह चिम्मन खरगा भाई हो तो उसे नहीं पता होना तथा उसके बाबा कितने भाई थे उसे नहीं पता होना कथन करता है तथा डोगर ने उसके विरूद्ध एक अपील कर रखी होना स अपील में मवसिया, नतथी निरोती लज्जाराम के नाम होना उस अपील में तारीख पेशी 10.8.15 होना कथन करता है तथा उक्त अपील

में स्टे नहीं होना केवल बेचान पर स्टे होना कथन करता है तथा पुलिस ने उसका बयान लिया होना तथा उसका बयान किस तारीख को हआ था आज ध्यान नहीं होना कथन करता है तथा झगडे के करीब 2-3 दिन बाद पुलिस ने उसका बयान लिया होना कथन करता है तथा प्रदर्श पी-02 देखकर गवाह ने बताया कि झगडे वाला स्थान वाई स्थान है। अतः उक्त गवाह ने भी अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में अधिकतर प्रश्नों का जवाब उसे पता नहीं होना कथन करता है तथा प्रदर्श पी-02 में झगडे वाला स्थान वाई स्थान बताता है, जबकि प्रदर्श पी-02 में घटनास्थल एक्स स्थान पर है। अतः उक्त गवाह की साक्ष्य से भी अभियोजन पक्ष अपने मामले को अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

14. इसके अतिरिक्त प्रकरण का अन्य चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यू.-04 भिक्की ने अपने मुख्य परीक्षण में वह खेत से अपने घर लौट रहा होना तथा निरोती लज्जाराम अर्जुन भीमसैन रमेश रज्जो देशराज के खेत से फसल काट कर ला रहे होना कथन करता है, किंतु अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में देशराज उसका भतीजा लगता होना तथा मुलजिमान किस खसरा नंबर से फसल काट कर लाये थे उसे नहीं पता होना कथन करता है तथा इस सुझाव को सही बताता है कि देशराज का खेत मुलजिमान का खेत उसका खेत सब पुरखो के खेत हैं तथा इस सुझाव को भी सही बताता है कि उक्त खेत विवाद चल रहा है जो बंटवारे का है तथा मुलजिमान जिस खेत से फसल काट कर लाये थे उसी में वह खेती कर रहे होना तथा मुलजिमान रास्ते में मिले होना तथा उसके साथ उस समय कोई नहीं होना कथन करता है। अतः उक्त गवाह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में मुल्जिमान द्वारा जिस खेत से फसल काट कर लाये थे उसी में वह खेती कर रहे होना कथन करता है, जिससे उक्त खेत में मुल्जिमान की ही खेती होना प्रतीत होता है, इसके अतिरिक्त उक्त गवाह ने मुलजिमान उसे रास्ते में मिले होना कथन किया है, जबकि तहरीर में उक्त गवाह मौके पर होना बताया गया है। अतः उक्त गवाह की साक्ष्य से भी अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

15. इसके अतिरिक्त प्रकरण का अन्य गवाह पी.डब्ल्यू.-01 नत्थीलाल, जो कि पूर्ण रूप से पक्षद्रोही रहा है तथा अपने मुख्य परीक्षण में किसके बाजरे को किसने काटा था उसे नहीं पता होना कथन करता है तथा उक्त गवाह को सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर जिरह किए जाने पर उसका पुलिस ने कोई बयान नहीं लिया होना तथा पुलिस बयान प्रदर्श पी-01 का ए से बी भाग उसने पुलिस को

नहीं दिया होना कथन करता है तथा नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी-02 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर होना कथन करता है तथा उसके सामने देशराज के खेत से निरोती भीमसेन व अर्जुन ने कोई फसल नहीं काटी होना कथन करता है। अतः उक्त गवाह अपनी सशपथ साक्ष्य में अभियोजन कहानी का लैसमात्र समर्थन नहीं करता है। अतः उक्त गवाह की साक्ष्य से भी अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

16. इसके अतिरिक्त प्रकरण का अन्य गवाह पी.डब्ल्यू.-05 नेत्रपाली दिनांक 25.9.14 को नुनेहरा में हल्का पटवारी के पद पर तैनात होना तथा खसरा नंबर 225, 1161/218, 1163/219, 1165/211 भिक्की देवी, मानसिंह पुत्रगण खरगा का हिस्सा 3/5 हिस्सा था देशराज वगैरा का 1/5 हिस्सा होना कथन करता है तथा उक्त बंटवारे के बाद दाखिल खारिज हो चुका होना कथन करता है तथा बंटवारा होने के बाद भूमि संबंधी अपील आरएए में होने के कारण निरोती वगैरा काबिज नहीं होने दे रहे होना कथन करता है तथा जमाबंदी की असल प्रदर्श पी-5ए जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-5 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर होना तथा असल नक्शा प्रदर्श पी-6ए जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-6 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर होना कथन करता है तथा अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में किस खसरा नंबर में कौन खेती कर रहा है ऐसा कहने उससे कोई नहीं आया होना कथन करता है तथा आगे कथन करता है कि उपरोक्त खसरा नंबरान में देशराज खेती नहीं कर रहा था तो उसने उससे कहा था कि उसे इनमें कब्जा दिलओ तथा उक्त जमीन पर आज भी स्थगन आदेश जारी होना कथन करता है तथा इस सुझाव को सही बताता है कि बंटवारा पुस्तैनी जमीन का हुआ था तथा उसने किसी को फसल काटते हुए ले जाते हुए बोते हुए नहीं देखा होना कथन करता है तथा कथन करता है कि वह खेतों पर जमाबंदी दर्ज करने नहीं जाता खसरा गिरदावर ही जाता है तथा कथन करता है कि वे लोग खेतों पर केवल यह देखते हैं कि खसरा नंबर में कौनसी फसल खडी है यह नहीं देखते हैं कि यह किसने बोई है। अतः उक्त गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में बंटवारा होने के बाद भूमि संबंधी अपील आरएए में होने के कारण निरोती वगैरा काबिज नहीं होने दे रहे होना कथन करता है तथा अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में भी गवाह ने उपरोक्त खसरा नंबरान में देशराज खेती नहीं कर रहा होना एवं उससे कब्जा दिलाने की कहा होना कथन किया है, जिससे उक्त भूमि पर देशराज का कब्जा नहीं होना प्रतीत होता है। अतः उक्त गवाह की साक्ष्य से भी अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

17. इसके अतिरिक्त प्रकरण का अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू.-06 सुरेश व पी.डब्ल्यू-07 मुकेश, जो कि हस्तगत प्रकरण में फर्द गिरफ्तारी के गवाहान हैं तथा मुकदमा नंबर 208/14 में मुलजिमान रमेश, रज्जो, भीमसेन, अर्जुन, लज्जाराम को जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार करने की साक्ष्य देते हैं तथा फर्द गिरफ्तारी क्रमशः प्रदर्श पी-07, पी-08, पी-09, पी-10 व पी-11 पर क्रमशः ए से बी व सी से डी अपने हस्ताक्षर होना कथन करता है तथा अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में फर्द गिरफ्तारी पुलिस ने उनके सामने नहीं बनाई होना तथा पुलिस ने उनके कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाए होना कथन करते हैं तथा इस सुझाव को सही बताते हैं कि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की कार्यवाही उनके सामने नहीं हुई थी। अतः उक्त गवाहान की साक्ष्य से भी अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

18. इसके अतिरिक्त प्रकरण का अन्य गवाह पी.डब्ल्यू.-08 चन्द्रपाल, जो कि हस्तगत प्रकरण में फर्द गिरफ्तारी व फर्द जप्ती का गवाह है तथा अपने मुख्य परीक्षण में मुलजिम निरोती को जरिये फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-12 गिरफ्तार करने एवं उस पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर होना कथन करता है तथा मुलजिम की इत्तला पर कानि० विश्वदीपक, आईओ के साथ उसके रिहायशी मकान से एक प्लास्टिक का कट्टा 20 किलो बाजरा भरा हुआ निकलाकर आईओ को पेश करने एवं जरिए फर्द बरामदगी प्रदर्श पी-13 जब्त करने एवं उस पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर होने तथा नक्शा बरामदगी प्रदर्श पी-14 पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर होना कथन करता है तथा अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में मुलजिम निरोती को थाना पर कौन लेकर आया था उसे इस बारे में पता नहीं होने, लेकिन उसे उसके सामने गिरफ्तार करने का कथन करता है एवं ना ही उसने मुलजिम को किसी को लाते हुए देखा होना कथन करता है तथा मुलजिम निरोती ने इत्तला उसके सामने गिरफ्तारी के समय दी होना लेकिन किस समय दी थी आज उसे ध्यान नहीं होना कथन करता है तथा मुलजिम द्वारा इत्तला दी जाने पर कोई स्वतंत्र साक्षी मौजूद नहीं होना कथन करता है तथा वे मुलजिम की इत्तला पर दिनांक 20.11.2014 को उसकी मय जाप्ता व मुलजिम के रवानगी और वापसी रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद नहीं होना कथन करता है तथा बरामदगी स्थल पर मौजूद मुलजिम के घर के और पडोसी व्यक्तियों के नाम क्या थे आज उसे ध्यान नहीं होना कथन करता है तथा माल उसके कमरे से बरामद किया होना एवं उस मकान में केवल एक कमरा होना कथन करता है तथा बरामदगी स्थल वाले मकान में एक से अधिक कमरे हो तो

आज उसे ध्यान नहीं होना कथन करता है तथा यह भी कथन करता है कि आईओ साहब ने वहां मौजूद लोगों को उसके सामने स्वतंत्र साक्षी बनाने के लिए नहीं कहा था जो कट्टा बाजरा के बरामद किया था उस पर क्या विशेष चिह्न था आज उसे ध्यान नहीं है तथा इस सुझाव को सही बताता है कि फर्द बरामदगी प्रदर्श पी-13 में कट्vs को तोले जाने का कोई इन्द्राज नहीं है तथा इस सुझाव को भी सही बताता है कि ग्रामीण क्षेत्र में हर घर पर गेहूं और बाजरा के कट्टे रखे रहते हैं तथा इस सुझाव को भी सही बताता है कि बरामदगी प्रदर्श पी-13 और नक्शामौका प्रदर्श पी-14 पर किसी भी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है तथा कट्टे को शील्ड मोहर कर क्या मार्क अंकित किया था आज उसे ध्यान नहीं है तथा प्रदर्श पी-13 पर कट्टे को शील्ड मोहर किये जाने का और उस पर कोई मार्कय अंकित करने का नोट अंकित नहीं है। अतः उक्त गवाह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में बरामदगी स्थल पर एक कमरा होना कथन किया गया है, जबकि नक्शा बरामदगी प्रदर्श पी-14 में चार कमरे हैं। अतः उक्त गवाह की साक्ष्य से भी अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

19. इसके अतिरिक्त प्रकरण का अन्य गवाह पी.डब्ल्यू.-09 विश्वदीपक, जो कि हस्तगत प्रकरण में फर्द बरामदगी प्रदर्श पी-13 व फर्द नक्शामौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी-14 का गवाह है तथा अपने मुख्य परीक्षण में मुलजिम की निशानदेही पर उसके मकान से 20 किलो बाजरा प्लास्टिक के कट्टे में भरा हुआ बरामद किया जाना तथा फर्द बरामदगी प्रदर्श पी-13 व नक्शामौका बरामदगी प्रदर्श पी-14 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर होना कथन करता है तथा यह भी कथन किया गया है कि प्रकरण में जब्तशुदा माल काफी समय हो जाने के कारण मुताबिक मालखाना इंचार्ज सैपऊ डैस्ट्रॉय हो चुका है इसलिए न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता है तथा अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में वे किस वाहन से गए थे आज उसे ध्यान नहीं होना कथन करता है तथा आगे कथन करता है कि दिनांक 20.11.2014 को वे रोजनामचा में रवानगी रपट डालकर गए थे लेकिन इस सुझाव को सही बताया है कि वह रपट ना तो इस प त्रावली पर मौजूद है और ना ही उसे रपट संख्या ध्यान है तथा गवाह ने यह कथन भी किया है कि वे जहां कार्यवाही करने गए थे वे मकान के बाहर से बाजरा के कट्टे को लेकर आ गए थे उस मकान में अन्दर नहीं गए थे तथा आगे कथन करता है कि आज उसे ध्यान नहीं है कि वक्त कार्यवाही आईओ साहब ने किसी भ्ज्ञी स्वतंत्र साक्षी को गवाह बनाने का प्रयत्न किया था या नहीं तथा इस सुझाव को भी सही बताता है कि फर्द बरामदगी प्रदर्श पी-13 एवं नक्शामौका बरामदगी प्रदर्श

पी-14 पर किसी भी प्रकार के स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है और ना ही ऐसा कोई नोट अंकित है कि वक्त कार्यवाही आईओ साहब ने किसी भी स्वतंत्र साक्षी को गवाह बनाने का प्रयत्न किया था लेकिन बनने को तैयार नहीं हुआ तथा कट्टे का मुंह बंद होना तथा कट्टे को खोलकर एस एच ओ ने देखा होना, उसने नहीं देखा होना कथन करता है तथा उस कट्टे को मौके पर किसी ने शील्ड मोहर किया था या नहीं किया था आज उसे ध्यान नहीं होना कथन करता है तथा इस सुझाव को भी सही बताता है कि प्रदर्श पी-13 में बरामदशुदा माल को शील्ड मोहर किये जाने का नोट अंकित नहीं है। अतः उक्त गवाह की साक्ष्य से भी अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

20. इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से प्रतिरक्षा साक्ष्य में साक्षी डी.डब्ल्यू-01 फन्नीराम को न्यायालय में पेश कर परीक्षित करवाया गया है, जो कि अपने मुख्य परीक्षण में वह देशराज को जानता होना तथा देशराज के खेत हाजीपुर में पडते होना एवं उनसे लगे हुये खेत उसके होना कथन करता है तथा आगे कथन करता है कि वर्ष 2014 में देशराज का उसके खसरा नंबर 1161/218 वाके ग्राम हाजीपुर पर काबिज नहीं था और ना ही 1163/219 पर काबिज था एवं उसे पता है कि देशराज ने सन् 20014 में निरोती, अर्जुन, भीमसैन, लज्जाराम, रमेश व रज्जो के खिलाफ फसल चोरी का मुकदमा कराया था जिस खेत में से फसल चोरी का मुकदमा देशराज ने कराया था उस खेत में कोई फसल नहीं थी खाली पडे थे तथा उसने सितम्बर 2014 में अपने खेत पर बाजरे की फसल बोई थी जिसकी देखभाल रात में रूककर करता था एवं दिनांक 25.09.2014 को वह अपने खेत पर ही था एवं उस दिन रात्र में उसे कोई आसपास हल्ला होने की आवाज सुनाई नहीं दी ना ही कोई लडाई झगडा व चोरी हुई तथा देशराज के खेत से लगा उसका खेत का खसरा नंबर 1160/218 व 1162/219 होना कथन करता है तथा सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त गवाह से जिरह किए जाने पर देशराज उसके चाचा मंगलसिंह का लडका होना तथा उसका देशराज से कोई विवाद नहीं होना कथन करता है तथा इस सुझाव को गलत बताता है कि देशराज ने सन् 2014 में अपने खेत में बाजरे की फसल बोई हो और उस फसल को मुलजिमान काट कर ले गये हो। अतः उक्त गवाह की साक्ष्य से अभियुक्तगण को पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है।

21. चूंकि हस्तगत प्रकरण में परिवादी गवाह पी०ड० 02 देशराज सिंह व चक्षुदर्शी साक्षीगण गवाह पी०ड० 03 शादीलाल एवं पी०ड० 04 भिक्की की साक्ष्य ही प्रकरण को

संदेह से परे साबित करने के लिये अहम् व महत्वपूर्ण थी। जिसमें परिवादी गवाह पी०ड० 02 देशराज सिंह ने अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में इस जमीन का विवाद आज भी चल रहा हो तो उसे नहीं पता होना तथा शिवदयाल जिंदा हो या मर गया हो तो उसे नहीं पता होना तथा उक्त खेत के बटवारे की अपील में तारीख पेशी 10.8.15 हो तो उसे नहीं पता होना कथन करता है तथा शादीलाल घटना के कितनी देर बाद आये थे वह नहीं बता सकता होना कथन करता है तथा यह भी कथन करता है कि शादीलाल घटना होने के बाद आए थे तथा पुलिस ने उसका बयान लिया हो तो आज उसे ध्यान नहीं होना कथन करता है तथा आगे कथन करता है कि वह मौके पर चिल्लाया नहीं था अजखुद कहा कि उसने लोगों से कहा था तथा उसने रामवीर, विजयसिंह से इस बारे में कहा होना और अन्य किसी से नहीं कहा होना कथन करता है तथा आगे गवाह ने प्रदर्श पी-02 पर शादीलाल देवी कैलाशी उसने हस्ताक्षर किये होना भी कथन करता है। अतः उक्त गवाह अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में अधिकतर प्रश्नों का उत्तर उसे पता नहीं होना कथन करता है तथा उक्त गवाह की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। इसके अतिरिक्त चक्षुदर्शी साक्षी गवाह पी०ड० 03 शादीलाल ने अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में उक्त गवाह चिम्मन खरगा भाई हो तो उसे नहीं पता होना तथा उसके बाबा कितने भाई थे उसे नहीं पता होना कथन करता है तथा डोगर ने उसके विरूद्ध एक अपील कर रखी होना स अपील में मवसिया, नतथी निरोती लज्जाराम के नाम होना उस अपील में तारीख पेशी 10.8.15 होना कथन करता है तथा उक्त अपील में स्टे नहीं होना केवल बेचान पर स्टे होना कथन करता है तथा पुलिस ने उसका बयान लिया होना तथा उसका बयान किस तारीख को हआ था आज ध्यान नहीं होना कथन करता है तथा झगडे के करीब 2-3 दिन बाद पुलिस ने उसका बयान लिया होना कथन करता है तथा प्रदर्श पी-02 देखकर गवाह ने बताया कि झगडे वाला स्थान वाई स्थान है। अतः उक्त गवाह ने भी अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में अधिकतर प्रश्नों का जवाब उसे पता नहीं होना कथन करता है तथा प्रदर्श पी-02 में झगडे वाला स्थान वाई स्थान बताता है, जबकि प्रदर्श पी-02 में घटनास्थल एक्स स्थान पर है तथा उक्त गवाह की साक्ष्य से भी अभियोजन पक्ष अपने मामले को अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य चक्षुदर्शी साक्षी पी०ड० 04 भिक्की ने अपने मुख्य परीक्षण में वह खेत से अपने घर लौट रहा होना तथा निरोती लज्जाराम अर्जुन भीमसैन रमेश रज्जो देशराज के खेत से फसल काट कर ला रहे होना कथन करता है, किंतु अधिवक्ता

अभियुक्त की जिरह में देशराज उसका भतीजा लगता होना तथा मुलजिमान किस खसरा नंबर से फसल काट कर लाये थे उसे नहीं पता होना कथन करता है तथा इस सुझाव को सही बताता है कि देशराज का खेत मुलजिमान का खेत उसका खेत सब पुरखो के खेत हैं तथा इस सुझाव को भी सही बताता है कि उक्त खेत विवाद चल रहा है जो बंटवारे का है तथा मुलजिमान जिस खेत से फसल काट कर लाये थे उसी में वह खेती कर रहे होना तथा मुलजिमान रास्ते में मिले होना तथा उसके साथ उस समय कोई नहीं होना कथन करता है। अतः उक्त गवाह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में मुल्जिमान द्वारा जिस खेत से फसल काट कर लाये थे उसी में वह खेती कर रहे होना कथन करता है, जिससे उक्त खेत में मुल्जिमान की ही खेती होना प्रतीत होता है, इसके अतिरिक्त उक्त गवाह ने मुलजिमान उसे रास्ते में मिले होना कथन किया है, जबकि तहरीर में उक्त गवाह मौके पर होना बताया गया है। अतः उक्त गवाह की साक्ष्य से भी अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष द्वारा हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा माल को न्यायालय में पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है तथा गवाह पी.डब्ल्यू-09 विश्वदीपक की साक्ष्य के दौरान जब्तशुदा माल काफी समय हो जाने के कारण डैस्ट्रॉय हो चुका होने से न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता होना कथन किया है अतः यदि प्रकरण में जब्तशुदा माल कट्टे में शील्ड मोहर था तो डैस्ट्रॉय कैसे हआ? तथा यदि जब्तशुदा माल डैस्ट्रॉय हुआ हो तो प्लास्टिक कट्टा जिसमें माल जब्त किया गया था उसे भी न्यायालय में पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि हस्तगत प्रकरण में किसी प्रकार का कोई माल जब्त ही नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष द्वारा हस्तगत प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को भी न्यायालय में पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया हैं इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण की ओर से प्रतिरक्षा साक्ष्य में जरिए अधिवक्ता न्यायालय में पेश कर परीक्षित करवाए गए गवाह डी.डब्ल्यू-01 फन्नीराम की साक्ष्य से भी उन्हें समर्थन प्राप्त होता है।

22. भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में वर्णित विधि विरूद्ध जमाव से तात्पर्य है कि - ''पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों द्वारा सामान्य उद्देश्य को रखते हुये गठित जमाव जो कि विधि विरूद्ध हो। अर्थात् पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ होने की शर्त विधायिका द्वारा विधि विरूद्ध जमाव के रूप में परिभाषित की गई है। परंतु परीक्षित हुये सभी गवाहान वक्त घटना मुलजिमान की संख्या पांच या पांच से अधिक होने के तथ्य के संबंध में कोई कथन नहीं करते हैं। मुलजिमान की संख्या

वक्त घटना पांच या पांच से अधिक होने की शर्त विधि विरूद्ध जमाव के गठन के लिये विधायिका के आशय को स्पष्ट करती है लेकिन प्रकरण का परिवादी/चक्षुदर्शी साक्षीगण मुलजिमान की संख्या पांच या पांच से अधिक होने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं देते हैं। अतः प्रकरण का विचारणीय बिंदु परीक्षित हुये सभी गवाहान की साक्ष्य से लेशमात्र भी संदेह से परे साबित नहीं होता है। अतः इस न्यायालय के विनम्र मत में यह है कि अभियोजन पक्ष अभियोजन साक्ष्य में विद्यमान गंभीर विरोधाभास एवं अनुसंधान की त्रुटियों के कारण अभियोजन आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है।

23. अतः परिणामतः पत्रावली पर आई संपूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से विश्लेषण करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण 1. अर्जुन सिंह, 2. भीमसेन, 3. लज्जाराम, 4. रमेश, 5. रज्जो के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत 147, 447, 379 भारतीय दंड संहिता के आरोप का बिंदु संदेह से परे लेशमात्र भी साबित नहीं हो पाता है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 25.09.2014 की सांयकाल 8.00 बजे या उसके लगभग स्थान ग्राम हाजीपुर थाना सैपऊ जिला धौलपुर में सबके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में परिवादी देशराज की बाजरा की फसल को क्षति पहुंचाने हेतु विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर बलवा कारित किया तथा उसकी भूमि में आपराधिक अतिचार किया तथा विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए परिवादी देशराज की बाजरा की फसल व आराजी में पडी हुई ईंट व पत्थर की मुडियों को चुराकर ले गये। अतः अभियुक्तगण 1. अर्जुन सिंह, 2. भीमसेन, 3. लज्जाराम, 4. रमेश, 5. रज्जो को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में **दोषमुक्त** किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-- आदेश –

24. अतः एतत्द्वारा अभियुक्तगण 1. अर्जुन सिंह पुत्र लज्जाराम, उम्र-22 साल, 2. भीमसेन पुत्र लज्जाराम, उम्र-24 साल, 3. लज्जाराम पुत्र छोटे, उम्र-60 साल, 4. रमेश पुत्र अनारसिंह, उम्र-35 साल, 5. रज्जो पुत्र निरोती, उम्र-35 साल, निवासीगण मढी मौहल्ला कस्बा सैपऊ थाना सैपऊ को अपराध अंतर्गत 147, 447, 379 भारतीय दंड संहिता में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित नहीं किये जाने पर पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्त निरोती पुत्र छोटे, उम्र-52 साल की मृत्यु हो जाने पर उसके विरूद्ध दिनांक 01.06.2024 को कार्यवाही

ड्रॉप की जा चुकी है। अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके तुरंत प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।

25. प्रकरण में प्रसारित निर्णय के संबंध में अभियुक्तगण धारा 437 (ए) दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानान्तर्गत आगामी छः माह की अवधि के लिए अपीलीय न्यायालय अथवा उच्चतर न्यायालय में उपस्थिति हेतु रुपए दस हजार का स्वयं का मुचलका व इसी कदर राशि की एक संतोषप्रद जमानत प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे। अभियुक्तगण के उपरोक्त जमानतनामा व मुचलका धारा 437 (ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत छः माह तक वक्त अपील/रिवीजन होने तक प्रभावी रहेंगे। निर्णय की एक प्रति अविलम्ब ई-कोर्ट वेबसाईट पर अपलोड की जावे।

(रेणु कुमारी गोयल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट सैंपऊ

26. यह निर्णय आज दिनांक 30-03-2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुनाया गया।

(रेणु कुमारी गोयल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट सैंपऊ

RAMKISHAN
Stenographer 3rd
"Authenticated Document"
Digitally signed by RAMKISHAN
Date: 2026.03.30 16:57:45 +0530